उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य तथा रसद अनुभाग-2

संख्या-06/2018/357/29-2-18-एम-36/10

लखनऊ: दिनांक: 30 मई, 2018

<u>कार्यालय-आदेश</u>

आयुक्त, खाद्य एवं रसद, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या-54/आ0वि0शा0-135/07, दिनांक 24-12-2009 के द्वारा श्री सोमदत्त शर्मा, वरिष्ठ विपणन निरीक्षक के विरूद्ध उनकी केन्द्र हसायन, जनपद-हाथरस की तैनाती अवधि से सम्बन्धित प्रचलित विभागीय कार्यवाही निम्नलिखित दण्ड के साथ समाप्त की गयीः-

(1) श्री सोमदत्त शर्मा, वरिष्ठ विपणन निरीक्षक को वर्तमान वेतनमान के एक प्रक्रम पर नीचे अवनत किया जाता है।

(2) प्रकरण में हुई शासकीय क्षति रू0 68,394.00 श्री सोमदत्त शर्मा, वरिष्ठ विपणन निरीक्षक से वसूल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(3) श्री सोमदत्त शर्मा, वरिष्ठ विपणन निरीक्षक को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाती है।

2- उक्त दण्डादेश दिनांक 24-12-2009 के विरूद्ध श्री शर्मा द्वारा शासन में अपील दिनांक 14-01-2010 प्रस्तुत की गयी। श्री शर्मा की अपील को शासन द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कार्यालय आदेश संख्या-877/29-2-2012-एम-36/2010, दिनांक 03 जुलाई, 2012 द्वारा खाद्यायुक्त के दण्डादेश दिनांक 24-12-2009 को संशोधित करते हुए एक वेतन प्रक्रम नीचे अवनत किये जाने सम्बन्धी दण्ड को विलोपित करते हुए उन्हें प्रदत्त प्रतिकूल प्रविष्टि एवं शासकीय क्षति रू0 68,394.00 की वसूली संबंधी दण्ड को यथावत बनाये रखते हुए अपील निस्तारित की गयी।

3- शासन के कार्यालय आदेश संख्या-877/29-2-2012-एम-36/2010, दिनांक 03 जुलाई, 2012 के विरूद्ध श्री शर्मा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-52501/2012, सोमदत्त शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी जिसमें मा0 न्यायालय के निर्णयादेश दिनांक 05-12-2017 के मुख्य अंश निम्नवत हैः-

**There is force in the submission of the petitioner that stock of the rice bages was not correctly counted on the date of inspection on 26-06-2007 as the rice were being issued between 26-06-2007 and 30-06-2007. The Appellate authority has not considered the report of the Regional Food Controller, Agra division, Agra dated 30-05-2012 that on verification, no shortage in stock has been found at the centre in question for the year 2007-08. Clear averment made in this regard in paragraph-8 of the writ petition has not been denied in paragraph-8 of the counter affidavit. Under the circumstances, I do not find any good reason to sustain the recovery of Rs.68,394/- as provided in the impugned appellate order dated 3-07-2012.**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**In view of aforesaid the writ petition is allowed. The impugned order dated 03-07-2012 passed by the respondent no.1 is quashed to the extent it provides for recovery of a sum of Rs. 68,394/- from the petitioner.**

**The writ petition is allowed to the extent indicated above.**

4- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा शासन के अपीलीय आदेश दिनांक 03-07-2012 में निहित शासकीय क्षति रू0 68,394.00 (अरसठ हजार तीन सौ चैरानबे रूपये मात्र )को वसूली की सीमा तक अपास्त (क्वैश) कर दिया गया है।

अतएव रिट याचिका संख्या-52501/2012 सोमदत्त शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयादेश दिनांक 05-12-2017 के अनुपालन में शासन के अपीलीय आदेश संख्या-877/29-2-2012-एम-36/10, दिनांक 03-07-2012 में निहित शासकीय क्षति रू0 68,394.00 (अरसठ हजार तीन सौ चैरानबे रू0 मात्र) को वसूली की सीमा तक एतदद्वारा अपास्त (क्वैश) किया जाता है।

(अभिषेक सिंह ।। )
विशेष सचिव।

संख्या-उपरोक्त तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त, खाद्य एवं रसद को उनके पत्रांक-2302/आ0वि0शा0-135/2007, दिनांक 04-05-2018 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2018/357/29-2-18-एम-36/10, दिनांक 30-05-2018 की प्रति श्री सोमदत्त शर्मा, से0नि0, वरिष्ठ विपणन निरीक्षक को तामील कराकर तामीली की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- संभागीय खाद्य नियंत्रक अलीगढ़ संभाग अलीगढ़।
3- श्री सोमदत्त शर्मा, सेवानिवृत्त विपणन निरीक्षक, 701, कृष्णानगर, जे0के0 कालोनी, स्वर्ग आश्रम रोड, हापुड़, उ0प्र0।
4- गार्ड बुक।

(प्रेम शंकर राय )
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।